शोध-चिंतन पत्रिका: विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित ई शोध पत्रिका
अंक: 8; जनवरी-जून,2024

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की स्थापना में डॉ॰ भीमराव अंबेडकर की भूमिका

अब्दुल्लाह क़ुरैशी

शोध-सार :

डॉ॰. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करने में। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय केवल कानूनी समानता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता भी शामिल होनी चाहिए। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी (मसौदा समिति) के अध्यक्ष के रूप में, अंबेडकर ने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं।अंबेडकर के योगदान का प्रमुख उदाहरण अनुच्छेद 14 है, जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की नीति का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। संविधान में किए गए विभिन्न संशोधनों से स्पष्ट होता है कि अंबेडकर के विचारों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया है। उनके द्वारा प्रस्तावित प्रावधान और नीतियाँ भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और एक समतावादी समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। वर्तमान समय में भी, अंबेडकर के विचार और उनके द्वारा स्थापित किए गए संवैधानिक प्रावधान सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य अंबेडकर के योगदान का विश्लेषण करना और उनकी प्रासंगिकता को आधुनिक संदर्भ में समझना है।

बीज-शब्द : *संविधान सभा, मसौदा समिति, सामाजिक और आर्थिक समानता, अनुसूचित जाति और जनजाति*